

13.12.2021

पत्रावली आज केबे हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की अमराम  
रेवरी उपस्थित। पेरौठार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की  
बहस हुनी गई। प्रार्थी की शूल अपील आज निर्णित  
होकर आधिकारिक रूप से स्वीकार हो चुकी है। अतः इस  
स्थगन प्रार्थना पत्र पर आवे किसी प्रकार की कोई  
कार्रवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र  
की बखी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली  
केसबल नुमाद होकर नम्बर से कम है।

(भगवत प्रसाद)  
जिला कलेक्टर, तिरोही